

समाहरणालय, गोड्डा

(जिला भू-अर्जन शाखा)

E-Mail- goddadlao@gmail.com

प्रपत्र VI

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11 (1) के अधीन)

संख्या- 186/2016-17 (रेलवे) 11.14... / भूअ0 गोड्डा दिनांक :- 21/9/18

चूँकि उपायुक्त, गोड्डा को यह प्रतीत होता है कि मौजा- मोहराघाट, थाना नं0- 574, अंचल- महागामा, जिला- गोड्डा में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना गोड्डा से पीरपैती नई बी.जी. रेलवे लाईन निर्माण हेतु अपेक्षित है, इसलिए राज्य एस0 आई0 ए0 ईकाई ए.एम.सी.एस. प्राइवेट लिमिटेड, राँची सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन द्वारा कराया गया और एक प्रतिवेदन सौंपा गया। विशेषज्ञ समूह द्वारा सामाजिक समाघात प्रतिवेदन का मूल्यांकन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

विस्तृत प्रतिवेदन गोड्डा जिले के वेबसाइट:- www.godda.nic.in पर देखा जा सकता है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम- मोहराघाट, थाना नं0- 574, अंचल- महागामा, जिला- गोड्डा, में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 1.828 एकड़ यानि हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है।


क्रम सं०	खाता सं०	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़)	हिस्से की भूमि का रकवा (एकड़)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
								उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	2	निजी	धानी II	0.105	0.0337	मो० पगली, पिता- स्व० हुरो ठाकुर	1	भालूचक	3	अंश 2
2		4	निजी	धानी II	0.297	0.01675	प्रकाश ठाकुर, माता- मो० जबुनियां	महुबारा	3	अंश 4	1
3						0.01675	राजेश ठाकुर, माता- मो० जबुनियां				
4						0.067	सुधीर ठाकुर, माता- मो० सहोदरी देवी				
5						0.067	उमेश ठाकुर, पिता- फेकु ठाकुर				
6						0.067	विनय ठाकुर, पिता- फेकु ठाकुर				
7						0.0446	विनोद कुमार ठाकुर, पिता- महेश ठाकुर				
8						0.0446	मनोज ठाकुर, पिता- महेश ठाकुर				
9						0.0446	संजय ठाकुर, पिता- महेश ठाकुर				
10	2	1	निजी	धानी II	0.391	0.032	सुदामा देवी, माता- स्व० पार्वती देवी	महुबारा	2	4	अंश 1

11					0.008	गिरिश ठाकुर, माता- स्व० तारा देवी				
12					0.008	मो० गीता देवी, माता- स्व० तारा देवी				
13					0.008	विनोद ठाकुर, माता- स्व० तारा देवी				
14					0.008	घनश्याम ठाकुर, माता- स्व० तारा देवी				
15					0.011	सत्यनारायण ठाकुर, माता- स्व० लुखीया देवी				
16					0.011	मो० सीमा देवी, माता- स्व० लुखीया देवी				
17					0.011	बबलू ठाकुर, माता- स्व० लुखीया देवी				
18					0.098	राधे ठाकुर, पिता- स्व० महादेव ठाकुर				
19					0.049	मो० अरुणा देवी, पति- स्व० ठाकुर प्र० ठाकुर				
20					0.049	नेपाल ठाकुर, पिता- स्व० ठाकुर प्र० ठाकुर				
21					0.049	कैलाश ठाकुर, पिता- स्व० ठाकुर प्र० ठाकुर				
22					0.049	शंभुनाथ ठाकुर, पिता- स्व० ठाकुर प्र० ठाकुर				
23					0.086	सुदामा देवी, माता- स्व० पार्वती देवी				
24					0.021	गिरिश ठाकुर, माता- स्व० तारा देवी				
25					0.021	मो० गीता देवी, माता- स्व० तारा देवी				
26					0.021	विनोद ठाकुर, माता- स्व० तारा देवी				
27					0.021	घनश्याम ठाकुर, माता- स्व० तारा देवी				
28					0.028	सत्यनारायण ठाकुर, माता- स्व० लुखीया देवी				
29	21	3	निजी	धानी I	1.035	मो० सीमा देवी, माता- स्व० लुखीया देवी	4	भालूकित्ता	अंश 3	2
30					0.029	बबलू ठाकुर, माता- स्व० लुखीया देवी				
31					0.259	राधे ठाकुर, पिता- स्व० महादेव ठाकुर				
32					0.130	मो० अरुणा देवी, पति- स्व० ठाकुर प्र० ठाकुर				
33					0.130	नेपाल ठाकुर, पिता- स्व० ठाकुर प्र० ठाकुर				
34					0.130	कैलाश ठाकुर, पिता- स्व० ठाकुर प्र० ठाकुर				
35					0.130	शंभुनाथ ठाकुर, पिता- स्व० ठाकुर प्र० ठाकुर				
कुल :-					1.828	1.828				

यह अधिसूचना भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। उपायुक्त, गोड्डा उक्त अधिनियम की धारा- 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा/अंचल अधिकारी, महागामा और उनके कर्मचारी- कानूनगो/अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन/संबंधित राजस्व कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा- 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नही उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा- 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा श्री अनिल कुमार तिकी, अपर समाहर्ता, गोड्डा/श्री पवन कुमार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।



20/9/18
उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक 1114/भू0अ0 दिनांक :- 21/9/18।

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, गोड्डा को जिला गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित। निदेश है कि इस अधिसूचना का प्रकाशन यथाशीघ्र दो हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों (स्थानीय संस्करण) में करने का कष्ट करेंगे। साथ ही प्रकाशित अधिसूचना का पेपर कटिंग जिला भू-अर्जन कार्यालय, गोड्डा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना-विज्ञान पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित। निदेश है कि इस अधिसूचना को गोड्डा जिले के वेवसाइट में यथाशीघ्र प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।



20/9/18
उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक 1114 / भू0अ0 दिनांक :- 21/9/18 ।

प्रतिलिपि :- अपर समाहर्ता, गोड्डा/अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा/भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गोड्डा/अंचल अधिकारी, महागामा/अधियाची पदाधिकारी, उपमुख्य अभियंता (निर्माण), पूर्व रेलवे, भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस अधिसूचना को यथाशीघ्र अपने कार्यालय में प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अधिसूचित दाग संख्या में अवस्थित भौतिक संरचना का मूल्यांकन कर मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, महागामा को निदेश है कि उक्त अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात सहज दृश्य स्थलों पर चिपकाना सुनिश्चित करेंगे।



20/9/18
उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक : 1114 / भू0अ0 दिनांक : 21/9/18

प्रतिलिपि - प्रमंडलीय आयुक्त, संधाल परगना प्रमंडल, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- निदेशक, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


20/9/18
उपायुक्त,
गोड्डा।